निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 35 / 2020 दावा
दायरा दिनांक 19.02.2021
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

उनवान

सुमन कुमारी मीना पुत्री श्री हेमराज मीना पत्नी श्री हरीश कुमार जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. गायत्री बाई पत्नी स्व. श्री हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
2. कृशणाकुमारी पुत्री श्री हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 ए आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह सोंलकी – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाक़े माल ग्राम उण्डा पटवार हल्का रटावद तहसील बारां जिला बारां मे आराजी वर्तमान खाता संख्या 20 पुराना 20 की खसरा नंबर 64 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 16.90 रूपये कुल किता 1 कुल रकबा 1.30 हेक्टयर बखाता नाबालिग फोरन्ता बाई पुत्री श्री हेमराज संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/3 जाति मीना सा. हरिपुरा मे स्थित है, जो वादीया व प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसकी पुश्टि जमाबन्दी संख्या 2070 से 2073 से होती है। वादीया की नाबालिग अवस्था मे पिता श्री हेमराज पुत्र श्री छोटूलाल जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां जिला बारा राजस्थान [illegible] जाने पर वाद पत्र की मद् नंबर 1 मे अंकित आराजी के राजस्व [illegible] वादीया का घर का नाम फोरन्ता बाई दर्ज करवा दिया था, क्योंकि वादीया को [illegible] पर फोरन्ता बाई के नाम से पुकारते

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

थे, इसलिये सहवन से वादीया का घर का नाम फोरन्ता बाई दर्ज करवा दिया था, जबकि वादीया का वास्तविक नाम सुमन कुमारी मीना पुत्री श्री हेमराज मीना जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान है, जिसकी पुष्टि वादीया के आधार कार्ड, राशनकार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन नामावली बैंक पास बुक एवं विद्यालय रिकार्ड के दस्तावेजो से होती है, जिनकी प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे सुमन कुमारी मीना के स्थान पर नाबालिग फोरन्ता बाई दर्ज होने से वादिया उक्त आराजीयात पर केसीसी बनवाने व सरकारी लाभ, मुआवजा राशि प्राप्त करने से वंचित हो रही है, तथा बैंक द्वारा वादीया का नाम आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी व विद्यालय रिकार्ड आदि से मिलान ना होने व राजस्व रिकार्ड मे वादीया का नाम नाबालिग दर्ज होने के कारण केसीसी बनाने से साफ मना कर दिया, जबकि वादीया पूर्ण बालिग हो चुकी है, जिसकी बालिग होने की पुष्टि संलग्न दस्तावेज से होती है, किन्तु नाम गलत नाबालिग दर्ज होने से वादीया को आर्थिक परेशानीयों का सामना करना पड रहा है, इसलिये न्यायहित मे वाद पत्र की मद् नंबर 1 मे आराजी वर्तमान खाता संख्या 20 पुराना 20 की खसरा नंबर 64 रकबा 1.30 हेक्टर किस्म माल प्रथम लगानी 16.90 रूपया कुल किता 1 कुल रकबा 1.30 हेक्टर वाके माल ग्राम उण्डा पटवार हल्का रटावद तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी मे नाबालिग का नोट हटाया जाकर वादीया का नाम नाबालिग फोरन्ता बाई पुत्री श्री हेमराज संरक्षक सरपरस्त माता जाति मीना सा. हरिपुरा के स्थान पर सुमन कुमारी मीना पुत्री श्री हेमराज मीना जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान दर्ज करवाने की अधिकारी एवं नालिशी है। इस हेतु वाद पत्र पेश है। वादीया ने दिनांक 20.02.2020 को प्रतिवादी क्रम 3 के अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड मे फोरन्ता बाई के स्थान पर आधार कार्ड व विद्यालय रिकार्ड के अनुसार सुमन कुमारी मीना दर्ज करने व नाबालिग का नोट हटाने की कहने पर प्रतिवादी क्रम 3 व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों द्वारा मना करने पर दिनांक 20.02.2020 को बारां तहसील बारां मे अंतिम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब में वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम उण्डा तहसील बारा सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 20 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड सुमन कुमारी, फोटो प्रति फोटो पहचान–पत्र सुमन कुमारी, फोटो प्रति बैंक की पास बुक, फोटो प्रति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 अजमेर की अकंतालिका सुमन कुमारी, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किया गया। गायत्रीबाई के आधार कार्ड की फोटो प्रति, फोटो प्रति आधार कार्ड कृष्णा पेश किया। तहसीलदार बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गई। साक्ष्य वादी मे सुमन कुमारी का शपथ–पत्र पेश किया गया।

वकील वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस में वकील वादी का कथन है, कि वाके माल ग्राम उण्डा तहसील बारां राजस्थान मे आराजी वर्तमान खाता संख्या 20 पुराना 20 की खसरा नंबर 64 रकबा 1.30 हेक्टर बखाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नाबालिग फौरन्ता बाई पुत्री हेमराज संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/3 जाति मीना सा. हरिपुरा मे स्थित है, जो वादीया व प्रतिवादी क्रांक 1 व 2 के शामलाती खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादीया की नाबालिग अवस्था मे पिता की मृत्यु हो जाने पर राजस्व रिकार्ड मे वादीया के घर का नाम फौरन्ता बाई दर्ज करवा दिया गया क्योंकि वादीया को घर पर फौरन्ता बाई के नाम से पुकारते थे, इसमें सहवन से फौरन्ता बाई दर्ज करवा दिया, जबकि वादीया का वास्तविक नाम सुमन कुमारी मीना पुत्री हेमराज जाति मीणा निवासी हरिपुरा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान है, जिसकी पुष्टि वादीया के आधारकार्ड, राशनकार्ड व निर्वाचन कार्ड व बैंक पास बुक व विद्यालय रिकार्ड से होती है।

वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड मे सुमन कुमारी मीना के स्थान पर नाबालिग फौरन्ता बाई दर्ज होने से वादीया प्राप्त आराजीयात पर केसीसी बनवाने व सरकारी लाभ, मुआवजा प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है। वादीया ने अपने मुख्य परीक्षण मे जमाबन्दी, आधारकार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक डायरी अंकित तालिका माध्यमिक शिक्षा, राशनकार्ड को प्रदर्श करवाया है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि वादीया का नाम सुमन कुमारी मीना दर्ज करवाने मे प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा भी अपनी ओर से पेश रिपोर्ट मे भी यह स्वीकार किया है, कि वादीया का वास्तविक नाम सुमन कुमारी मीना है। वादीया की माध्यमिक शिक्षा की अंकतालिका के अनुसार बालिग हो चुकी है, इसलिए न्यायहित मे वादीया द्वारा पेश किये गये दस्तावेजो और प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के इकबाली जवाब व प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर वादीया का नाम नाबालिग फौरन्ता बाई के स्थान पर सुमन कुमारी मीना दर्ज किया जाना आवश्यक है।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम उण्डा सम्वत 2070–73 खाता संख्या 20 के अनुसार नाबालिग कृष्णा कुमारी पुत्री हेमराज संरक्षक माता हिस्सा 1/3 गायत्री बाई पत्नी हेमराज हिस्सा 1/3 नाबालिग फोरन्ता बाई पुत्री हेमराज संरक्षक सरपरस्त माता हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। फोटो प्रति आधार कार्ड में गायत्री बाई व कृष्णा दर्ज है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट के अनुसार वादिया सुमन कुमारी भी विवाह के पूर्व ग्राम उण्डा की ही निवासी थी, तथा प्रार्थीया सुमन कुमारी के परिवार का राशनकार्ड भी ग्राम उण्डा मे ही निवास कर रहा है। ग्राम वासियान द्वारा वादिया का नाम जो कि राजस्व रिकार्ड मे फोरन्ती बाई पुत्री हेमराज दर्ज है, जबकि दस्तावेजात के अनुसार सुमन कुमारी दर्ज है। ग्राम वासियान द्वारा फोरन्तीबाई का नाम ही सुमन कुमारी होना बताया है। प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार वादिया के पिता की मृत्यु के बाद फोती नामान्तकरण दर्ज करते समय वादिया का नाम फोरन्ती बाई दर्ज किया गया है। वादिया द्वारा अपना नाम दुरस्त करवाने के लिये धारा 88, 89 आरटीए के वादपत्र लाया गया है, जबकि वादिया का नाम फोती नामान्तकरण खोलते समय नाम गलत दर्ज किया है। वादिया को वाद पत्र प्रस्तुत करने की बजाय सक्षम [illegible] अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो वादिया द्वारा नही की गई है। वादिया सक्षम [illegible] में अपील प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करें। वादिया का वाद चलने योग्य [illegible] जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

उप [illegible] अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

(4)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 35/2020	धारा अन्तर्गत 88,89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 31.08.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

सुमन कुमारी मीना पुत्री श्री हेमराज मीना पत्नी श्री हरीश कुमार जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम बावडीखेडा तहसील अन्ता जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. गायत्री बाई पत्नी स्व. श्री हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
2. कृष्णाकुमारी पुत्री श्री हेमराज जाति मीना निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बारां हाल निवासी ग्राम उण्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज कियां जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 31.08.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner